

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम सरदारनगर तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 30/2011 राजस्व वाद

उनवान

1. जाहीदा बानू पुत्री नूर खां मुसलमान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. जेबून पुत्री नूर खां मुसलमान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. हुसैना बेवा नूर खां मुसलमान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादीगण)

बनाम

1. अलादीन खां पिता नन्हे खां मुसलमान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा फौत के बजाय—  
1/1 बशीरन पत्नि अलादीन खां पठान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0  
1/2 लाल मोहम्मद पिता अलादीन खां पठान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0  
1/3 गुलशन पुत्री अलादीन खां पठान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0  
1/4 फिरोज खां पिता अलादीन खां पठान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा हाल भदालीखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
1/5 जमीला पुत्री अलादीन खां पठान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. छोटु खां पिता नन्हे खां मुसलमान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. अमीर खां पिता नन्हे खां मुसलमान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. स्टेट बैंक आफ वीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित -

1. श्री कृष्ण कुमार जीनगर.....वादी स्वयं

दिनांक- 15.05.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम सरदारनगर में वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। आज दिनांक 15.05.2017 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि - वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सरदारनगर पटवार क्षेत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादी व प्रतिवादी क्रम 1/1 लगायत 1/5, 02 व 03 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1. जाहिदा जेबून पुत्रीयां नूर खां, हुसैना बेवा नूर खां मुसलमान सा0देह खातेदार मु0वि0क0 ग्राम सेवा सहकारी समिति सरदारनगर हिस्सा हुसैना का (वादीगण)

आ0न0	रकबा	/किस्म
419/3	00-19	चाही द्वितीय 0.04 जाव द्वितीय 0.15
451	00-15	जाव तृतीय
3387	02-00	वारानी तृतीय
3523/3394 मे से	01-04	वारानी तृतीय
कुल 4	रकबा 04-18 बीघा	

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा (भीलवाड़ा)